<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 279 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 14 / 06 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000502012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

शंकरराव पिता रघुनाथ कुंबी, उम्र 45 वर्ष निवासी भीमनगर बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 13. 06.2012 को समय शाम करीब 05:30 बजे टंडन केंप गेट नं. 1 बोड़खी में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई डेढ़ इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.06. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि बोड़खी में शंकरराव अपने हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर टंडन केंप बोड़खी गेट नं. 1 पर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 235/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.06.2012 को समय शाम करीब 05:30 बजे टंडन केंप गेट नं. 1 बोड़खी में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई डेढ़ इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22. 11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 13.06. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ टंडन केंप गेट नं. 1 बोड़ खी पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 235 / 12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी।
- 6 जाकिर खान (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में वर्ष 2012 में थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए टीआई साहब को सूचना मिलने पर उनके साथ हमराह टंडन केंप जाना जहां अभियुक्त को मौके पर ६ राबंदी कर पकड़कर उसके कब्जे से टीआई साहब द्वारा एक धारदार छुरी जप्त कर उसे गिरफतार करना बताया है।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं आर.के दुबे (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की

साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ टंडन केंप गया था। अभियुक्त से छुरी जप्त की, सीलबंद किया, उसे गिरफ्तार करने के बाद थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की। जाकिर खान (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह टीआई साहब के साथ मौके पर पहुंचा था। उसके समक्ष अभियुक्त से धारदार छुरी जप्त की गयी थी।
- 9 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि थाने में बैठकर उनके द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गयी और गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध किये गये। जाकिर खान (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही टीआई आरके दुबे के द्व ारा की गयी थी। घटना के समय उसे याद नहीं है।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध क्रमांक पूर्व से लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में विवेचक साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नापजोप किससे की गयी और न ही जप्ती पत्रक में उसका उल्लेख है। साथ ही प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 13.06.2012 को समय शाम करीब 05:30 बजे टंडन केंप गेट नं. 1 बोड़खी में लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक धारदार लोहे की छुरी जिसकी लंबाई 8 इंच एवं मूठ की लंबाई 4 इंच कुल लंबाई 12 इंच, चौड़ाई डेढ़ इंच को अपने आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त शंकरराव को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)